

बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग

अधिसूचना

पटना-15, दिनांक 11/03/2016

पत्रांक- पर्या०/वन-05/10.151(8)/प0य0, विभागीय अधिसूचना संख्या-
वन पर्या०-08 (ई०)/2002, दिनांक-07.01.2003 के द्वारा घ्यनि प्रदूषण (विनियमन और
नियंत्रण) नियम, 2000 के नियम-2 (C) के आलोक में उपरोक्त नियमावली के तियमों के
प्रभावी अनुपालन हेतु प्राधिकारी (Authority) घोषित पदाधिकारियों की संशोधित सूची
निम्नवत् होगी:-

- i. सभी आरक्षी अधीक्षक
 - ii. सभी अपर समाहर्ता
 - iii. सभी अनुमंडल पदाधिकारी
 - iv. सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी
 - v. सभी सहायक वन संरक्षक
 - vi. सभी जिला खनन पदाधिकारी
 - vii. सभी सहायक जिला खनन पदाधिकारी
 - viii. सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद
 - ix. सभी अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी (S.D.P.O.)
2. जिला पदाधिकारी उपरोक्त नियमावली के अंतर्गत पूर्व से ही प्राधिकारी घोषित है।
उपरोक्त अधिसूचना इस हद तक संशोधित समझा जाय।

बिहार राज्यमाल के आदेश से,

ह०/-

(रत्नेश झा)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापक : पर्या०/वन-05/10.151(8)/प0य0, पटना-15, दिनांक 11/3/16
प्रतिलिपि :- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि बिहार गजट के असाधारण अंक में इसे प्रकाशित कराते हुए
इसकी पाँच सौ प्रतियाँ विभाग को भजी जाय।

(रत्नेश झा)

सरकार के उप सचिव।